

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/66
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00059
CICOM/R/2018/00120

दिनांक: 14.03.2018

अपीलकर्ता : श्री नागेन्द्र उपाध्याय,
महासचिव, आर.डब्ल्यू.डी.ए.
रंगपुरी पहाड़ी, नई दिल्ली - 110037.

निर्णय की तारीख: 14.03.2018

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	22.01.2018
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	01.02.2018
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री आर. पी. गोवर
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	15.02.2018
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	77/20.02.2018 (111535/20.02.2018)

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 22.01.2018 के आर.टी.आई. आवेदन जो कि दिनांक 29.01.2018 को आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में प्राप्त हुआ, के माध्यम से दो बिंदुओं पर सूचनाएं सूचना मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री आर. पी. गोवर, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त (वाई.ए.) कार्यालय द्वारा प्रदान की गई सूचना से संतुष्ट नहीं होने पर अपीलकर्ता ने प्रथम अपील दाखिल की है।
2. संबंधित संचिका एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के उक्त आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री आर. पी. गोवर, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 01.02.2018 को पत्र सं. CICOM/R/2018/00120 के माध्यम से प्रदान की गई सूचना बिल्कुल सही है एवं इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।
3. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।
4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।

(आर. के. सिंह)

अपर सचिव एवं

प्रथम अपीलीय अधिकारी

दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

Asst
15/03/18

